HRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2430]ः.

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934

No. 2430]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2931(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 13 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पौधा किस्म रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जाएंगे, अर्थात :—

- (क) अपने-अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए फाइल किए गए आवेदनों की प्रतियां।
- (ख) अपने-अपने शाखा कार्यालयों के समक्ष कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां।

[फा.सं. 1-17/2012-एस.डी. V]

डा. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2012

S.O. 2931(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 13 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby directs that the following documents shall be kept at each branch office of the Plant Varieties Registry, namely:—

- (a) Copies of applications for registration of Plant Varieties filed in the respective branch office.
- (b) Copies of documents in proceedings filed before the respective branch office.

[F. No. 1-17/2012-S.D.V.]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.